राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोनः- 2708739 E-mail: rajssa.cce@gmail.com फैक्सः- 5107388, 2701822

क्रमांक : राप्राशिप/जय/सीसीई/विशेष शिक्षण/ /2017-18/ 5733 दिनांक : 17/8/17

शैक्षिक स्तर से न्यून विद्यार्थियों हेतु विशेष शिक्षण गतिविधि संचालन हेतु दिशा-निर्देश सत्र 2017-18

सत्र 2016-17 में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु **'जिला स्तर प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन'** का आयोजन किया गया था। इस क्रम में सत्र 2017-18 की कार्ययोजना में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गत वर्ष कक्षा 5 के मूल्यांकन प्रणाली में बी, सी, एवं डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जो कि इस वर्ष कक्षा 6 में अध्ययनरत है। ऐसे विद्यार्थियों के साथ नवीन शिक्षण विधा से विशेष शिक्षण करवाते हुए उन्हें कक्षा स्तर तक लाने हेतु विशेष शिक्षण व्यवस्था का संचालन का कार्य किया जाना है। इस बाबत गतिविधि 'Special classes for class 6 (Quality intervention)' के प्रभावी सचालन एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सत्र 2017-18 के अन्तर्गत स्वीकृति अनुसार राज्य के समस्त 32618 विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विभाग) की कक्षा 6 में संचालित की जानी है।

उद्देश्य -

1. विद्यार्थियों में विषयवार अधिगम स्तरों में और अधिक समझ विकसित करना।
2. विद्यार्थियों के कक्षा स्तर अनुरूप शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि के प्रयास करना।
3. सभी विद्यार्थियों को अधिगम सम्प्राप्ति अनुरूप तैयार करना।
4. शिक्षण कार्य को रूचिकर एवं प्रभावी बनाना।
5. गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करवाते हुए नवाचार को समाहित करना।
6. कक्षा-कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया को सहज व सरल बनाना।
7. लर्निंग गैप को न्यूनतम स्तर तक लाना।
8. कक्षा में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करना।

विद्यार्थी चयन का आधार -

1. सत्र 2016-17 में कक्षा 5 हेतु आयोजित जिला स्तरीय प्रारम्भिक स्तरीय मूल्यांकन परीक्षा में विषवार 'B', 'C' अथवा 'D' ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को इस गतिविधि में सम्मिलित किया जायेगा।
2. कक्षा 6 में नवीन प्रवेश अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण जिनका शैक्षिक स्तर कक्षा 5 के स्तर से न्यून है। ऐसे छात्र-छात्राओं को सम्मिलित किया जायेगा।

शिक्षण समायावधि / कालांश निर्धारण -

1. विद्यार्थियों के साथ विशेष शिक्षण कार्य के लिए माह सितम्बर 2017 से नियमित न्यूनतम 70 कार्य दिवस तक संचालित किया जाना है।
2. प्रत्येक कालांश की अवधि विद्यालयों में संचालित विषयों की संख्या के आधार पर 30/60 मीनिट की विषयवार रहेगी।
3. प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकता अनुसार चयनित विषयों का विशेष शिक्षण संचालित किया जाना है।
4. यदि विद्यालयों में विषयवार कालांश का संचालन चार विषयों का संचालन किया जाएगा तो कालांश अवधि प्रति विषय 30 मीनिट एवं दो-दो विषय एकान्तर क्रम में प्रतिदिन अध्यापन कार्य करवाया जाना है।
5. यदि विद्यालय में दो विषयों का संचालन होगा तो एक दिवस में एक विषय एवं कालांश की समयावधि 60 मिनट की होगी। अगले दिन दूसरे विषय का शिक्षण करवाया जाना है।
6. विशेष शिक्षण कालांश के लिए विद्यालय स्तर पर समयावधि की व्यवस्था निम्न प्रकार रहेगी -

	समयावधि
ग्रीष्मकालीन (प्रातः)	7:30 to 8:30
शीतकालीन (प्रातः)	9:00 to 10:00

www.rajteachers.com
Scanned by CamScanner

7. विशेष कक्षाओं का आयोजन विद्यालय समय से पूर्व ही अतिरिक्त कालांश (विशेष कालांश) को विद्यालय समय विभाग चक्र में सुनिश्चित किया जाए।
8. विद्यार्थी की शैक्षिक स्तर का आकलन प्रारम्भ में ही पूर्व मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी के विषय का चयन उनके शैक्षिक स्तर के आकलन एवं आवश्यकता अनुसार एस0एम0सी0/एस0डी0एम0सी0 द्वारा किया जाएगा।

अध्यापन कार्य व्यवस्था –

1. विशेष शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय में अनिवार्यतः कक्षा–कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
2. विशेष कक्षाओं के शिक्षण कार्य में मुख्य भूमिका विभाग द्वारा नियुक्त बीएसटीसी/ बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों (इन्टर्न) की रहेगी। किन्तु अकादमिक सम्बलन एवं मॉनीटरिंग का पूर्ण दायित्व विषय अध्यापक एवं संस्था प्रधान का होगा।
3. जिन विद्यालयों में बीएसटीसी/ बी.एड. प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध नहीं होते है, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में कार्यरत विषय अध्यापक एवं संस्था प्रधान ही शिक्षण कार्य करवाएँगे।
4. विशेष शिक्षण कार्य आरम्भ करने से पूर्व बच्चे का शैक्षिक स्तर का आकलन/मूल्यांकन किया जाएगा।
5. विद्यालयों मे विशेष शिक्षण कार्य उपयोग हेतु दी जाने वाली सामग्री निम्नप्रकार रहेगी –
    - शिक्षकों के लिए – विषयवार मार्गदर्शिका।
    - विद्यार्थियों के लिए – विषयवार अभ्यास कार्य पुस्तिका (प्रत्येक विद्यार्थी हेतु)

गतिविधि का संचालन –

1. कक्षाओं का संचालन सीसीपी/एबीएल/सीसीई गतिविधि आधारित किया जाएगा।
2. शिक्षण कार्य गतिविधि आधारित सुनिश्चित करने हेतु दैनिक/साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाकर तदनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
3. विशेष शिक्षण कार्य का आकलन करते हुए परिणाम की समीक्षा की जाए तथा बच्चे की प्रगति को 'डी' से 'सी', 'सी' से 'बी' तथा 'बी' से 'ए' ग्रेड तक लाने का प्रयास अनिवार्यतः किये जाए।

संस्था प्रधान /विषय अध्यापक के दायित्व –

1. संस्था प्रधान की भूमिका शिक्षण के साथ–साथ सम्बलनकर्ता के रूप में रहेगी।
2. विशेष कालांश के आयोजन के समय संस्था प्रधान अनिवार्यतः विद्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे।
3. संस्था प्रधान नियमित कक्षाओं को सम्बलन प्रदान करें एवं निर्धारित प्रपत्र में आंकलन करते हुए टिप्पणी दर्ज करें।
4. संस्था प्रधान विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट आवश्यक रूप से सम्बन्धित कार्यालय को समय पर प्रेषित करें।
5. विद्यार्थियों की विशेष शिक्षण कालांश में नियमितता एवं ठहराव पर समय–समय पर अभिभावक से चर्चा करें।
6. विशेष शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को एसएमसी/एसडीएमसी के साथ चर्चा कर समाधान के प्रयास करें।
7. एसएमसी/एसडीएमसी एवं अभिभावकों से विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करें।
8. शिक्षण कार्य के दौरान विषय अध्यापक नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहकर इन्टर्न को सहयोग करें।
9. आवश्यक सभी दस्तावेज़ों के संधारण का कार्य विषय अध्यापक द्वारा किया जाएगा।
10. छात्राध्यापकों (इन्टर्न) के आन्तरिक मूल्यांकन के निर्धारण में संस्था प्रधान इन्टर्न द्वारा किए गए विशेष शिक्षण कार्य की प्रगृति के आधार पर अभिशंसा करगें।
11. इन्टर्न के बीएड /बीएसटीसी के कोर्स में आन्तरिक मूल्यांकन के निर्धारण में विशेष शिक्षण में सहयोग की प्रगति को प्राथमिकता दी जाए।

संधारित किए जाने वाले दस्तावेज़ –

1. विशेष शिक्षण कार्य में निम्न दस्तावेज़ों का संधारण किया जाएगा –
    - दैनिक उपस्थिति – विशेष शिक्षण कार्य के लिए विद्यार्थियों हेतु पृथक से दैनिक उपस्थिति रजिस्टर का संधारण किया जाएगा।
    - पाठ योजना – इन्टर्न विषय अध्यापक की सहायता से शिक्षण कार्य से पूर्व दैनिक/ साप्ताहिक पाठ योजना का निर्माण।
    - अधिगम स्तर समप्राप्ति हेतु सम्पूर्ण शिक्षण कार्य योजना –
    - मूल्यांकन – अभ्यास पुस्तिका में दिए गए आंकलन/ मूल्यांकन प्रपत्र, साप्ताहिक मूल्यांकन, मध्यावधि मूल्यांकन व कार्य समाप्ति मूल्यांकन करवाया जाए तथा उसे मूल अभ्यास पुस्तिका से निर्देशानुसार पृथक कर प्रत्येक विद्यार्थी के पोर्ट फोलियो में संधारण।

www.rajteachers.com
Scanned by CamScanner

मॉनीटरिंग–

- गतिविधि के प्रभावी संचालन हेतु सम्बन्धित पीईईओ द्वारा नियमित अवलोकन एवं सम्बलन प्रदान किया जाना है।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप विषयवार कक्षाओं का संचालन संस्थाप्रधान, पीईईओ एवं एसएमसी/ एसडीएमसी द्वारा लिए गए संयुक्त निर्णय के आधार पर किया जाना है।
- गतिविधि संचालन के प्रारम्भ में 35 दिवस पश्चात एवं विशेष शिक्षण अवधि समाप्ति पश्चात चयनित विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का निर्धारित प्रारूप में शाला दर्शन पोर्टल पर आनलाईन फीडिंग का दायित्व सम्बन्धित पीईईओ का होगा।
- ब्लाक एवं जिला स्तर (प्रा.शि.एवं मा.शि.) के अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग की जायेगी।
- राज्य स्तर से योजनागत तरीके से सभी जिलो ने मॉनीटरिंग किया जाना है।
- अकादमिक सम्बलन का दायित्व डाइट एवं एसआईईआरटी उदयपुर का होगा।

मानदेय/स्टाई फण्ड बजट प्रावधान –

- बी.एड./ बीएसटीसी छात्रध्यापकों/ विद्यालय में कार्यरत विषय अध्यापक को विशेष शिक्षण के इस कार्य हेतु एसएमसी/एसडीएमसी की अभिशंषा पर कार्य समाप्ति पर सम्पूर्ण अवधि के लिए 250/– रूपये प्रति विषय दिया जाएगा।
- इस राशि का भुगतान ब्लाक कार्यालय, एसएसए द्वारा सम्बन्धित एसएमसी/एसडीएमसी को किया जाएगा।

(आनन्दी)
निदेशक
राज0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर

(डॉ0 जोगाराम)
आयुक्त
राज0 प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

क्रमांकः–राप्राशिप/जय/सीसीई/विशिगति/2017–18/ 5734 दिनांकः 17/8/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राज0 प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, राज0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
7. उपायुक्त, गुणवत्ता, राज0 प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त, एसआईक्यूई, राज0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक, समस्त संभाग।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0 / माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
11. जिला /अति0 जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
12. अति.जि.परि.समन्वयक, राज0 माध्यमिक शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
राज0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर

आयुक्त
राज0 प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

www.rajteachers.com
Scanned by CamScanner